फर्द अहकाम

न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय सांगानेर

नू पार्वे डवलपा बनाम ओलूराम

मुकदमा संख्या/वर्ष 114/23 /20

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	1/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन अपराधी सं. 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 21/3/24 (वाक्त क्लेरिकल प्रकार) का जवाब प्रार्थी को पेश करने हेतु पत्रावली दि0 15/5/24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	15/5/24	पत्रावली पेश हुई। पी0ओ0 साहब [illegible] व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश हो।
	31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी व वकील अभियोजन उप0 बाबत उपायुक्त अधिवक्ता श्री गोविन्द [illegible] अधिवक्ता की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया गया अवलोकन करने पर इलाका के निरीक्षण तक उपायुक्त को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाके ग्राम पंचायत, तहसील सांगानेर स्थित खसरा नं0 16/17, 336 337, 339 कैशलम्ब निर्माण भूमि को यथास्थिति बनाये रखे पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] को नकल हो बाद [illegible] दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)